संख्या–13ई–1/तेरह–2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2020

विषय–शासकीय कार्यों के निस्तारण में गतिशीलता लाना व निर्धारित लक्ष्यों की समय से प्राप्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासकीय कार्यों के निस्तारण में गतिशीलता लाने, विभागीय कार्यों का समयबद्ध निस्तारण कराने व निर्धारित लक्ष्यों की समय से प्राप्ति आदि के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

1. शासन स्तर से विभाग के लिये प्राविधानित धनराशियों की स्वीकृतियॉ यथाशीघ्र निर्गत की जाय। जिन धनराशियों का वित्तीय वर्ष में व्यय सम्भव न हो उसे तत्काल समर्पित की जाय तथा जिन मदों में धनराशि की आवश्यकता हो उन्हें बचतों से पुनर्विनयोग करा कर शत–प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. विभाग में लंबित आई.जी.आर.एस. से सम्बन्धित लंबित प्रकरणों का अनुश्रवण करते हुये प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराये जाय।
3. मा. मंत्री, मा. सांसद, मा. विधायक तथा अन्य जन प्रतिनिधियों से प्राप्त संदर्भ जो विभाग में लंबित हो उनका निस्तारण प्राथनिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
4. सरकार की जनोपयोगी योजनाओं का विस्तृत प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
5. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाय।
6. विभाग से सम्बन्धित सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) का अनुश्रवण करते हुये उनको यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।
7. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाहियों को समय से निस्तारित कराया जाय।

Umesh G O.

1217033/2020/ -1

8. विभाग के समस्त अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्मिक समय से कार्यालय आना सुनिश्चित करें।

9. विभाग से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी बिना समुचित कारण एवं बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होंगे।

10. विभाग से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को राज्य मुख्यालय/लखनऊ बार-बार न बुलाया जाये। मुख्यालय बुलाये जाने में समुचित समयावधि का ध्यान रखा जाय।

11. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अकारण प्रत्येक शनिवार, रविवार व अन्य राजकीय अवकाशों में बार-बार मुख्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगायी जाय।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह० (संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र., शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र., शासन।
3. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

ह० (संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

Umesh G.O.